—::निर्णय::—

दिनांकः— 24/2/2020

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— वादीगण की संयुक्त खरीदसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि मौजा भैसेर चावण्डियाली, पटवार क्षेत्र भैसेर चावण्डियाली, भू.अ.नि. क्षेत्र जेलु गगाडी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 339 रकबा 74 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 173 बीघा 10 बिस्वा, कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी संख्या 1 को 21 बीघा 15 बिस्वा, वादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 54 बीघा 02 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप्से 43 बीघा 07 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को संयुक्त रूप से 21 बीघा 15 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 8 को रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 9 को रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि हक हिस्से में आती है। पक्षकारान का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार मौके पर अलग—अलग कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सामलाती रूप से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का मौके पर पक्षकारान ने अपनी समझाईश एवं सुविधा अनुसार भौतिक रूप से बंटवाड़ा कर दिया ह। पक्षकारान मौके पर अपने—अपने हक हिस्से अनुसार अलग—अलग काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का विकास कार्य करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में विधि अनुसार बंटवाड़ा नहीं हुआ है। राजस्व रेकर्ड में सामलाती रूप से दर्ज है लेकिन मौके पर अलग—अलग काबिज है। प्रतिवादीगण हमेशा वादी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करते है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में हक हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 15.06.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने से मना करने पर उत्पन्न होना बताया है। वादीगण ने इस्तदुआ चाही की वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री किया जावें कि वादग्रस्त आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें वादीगण को बेदखल नहीं करें।

Scanned by CamScanner

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से बंशीलाल जी कच्छावाह अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार तिंवरी द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया।

यह है कि पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव व उस के साथ संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाने हेतु वादीगण व प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम भैसेर चावण्डियाली, पटवार क्षेत्र भैसेर चावण्डियाली, भू.अ.नि. क्षेत्र जेलु गगाड़ी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 339 रकबा 74 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 173 बीघा 10 बिस्वा बाबत तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तुत विभाजन किया जाकर हिस्से अलग किये जावें इसी आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो, पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 24/2/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास **रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मोहनराम वगैरा		दलाराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 82/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खसरा नम्बर 339 रकबा 74 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 173 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम भैसेर चावण्डियाली पटवार क्षेत्र भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, स्वीकार किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया गया तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की भूमि विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन की जाकर अलग किये जाने के बाबत् अंतिम डिगरी जारी की जाती है। बंटवाडा प्रस्ताव अंतिम डिगरी का भाग रहेगा। इसी अनुसार तहसीलदार तिंवरी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर वादीगण की भूमि अलग विभाजन के रूप में दर्ज की जावें तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें।

निज.................................. मुबलिग...बाबत्.............................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक... को अदा करे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/2/2020 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner